कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी प्रेस नोट

दिनांक 09.03.2023

प्रेस नोट

थाना-रामनगर पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त जिलाबदर का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के क्रम में दिनांक 09/03/2023 को उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार तिवारी मय हमराह का0 गंगा प्रसाद वर्मा, का0 अरूण सिंह रावत के देखभाल क्षेत्र, रात्रि गस्त, तलाश वांछित अभियुक्त में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास ने सूचना दिया कि थाना क्षेत्र का गुण्डा एक्ट में जिला बदर अपराधी सुनील कुमार अपने घर आ गया है और शीतला माता मन्दिर मच्छरहट्टा के पास खड़ा है। यदि जल्दी किया जा तो पकड़ा जा सकता है। सूचना पाकर हमराही कर्मचारीगण को साथ लेकर मौके पर पहुंचर हिकमत अमली से घेरघारकर पकड़ लिया गया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सुनील कुमार पुत्र स्व0 मोती लाल निवासी म0नं0- 1 / 272 नई बस्ती बघेली टोला थाना रामनगर वाराणसी उम्र 33 वर्ष को समय करीब 10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग :-

मु0अ0सं0-0048/2023 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम

पंजीकृत अभियोग का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09/02/2023 को उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार तिवारी को जरिये मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि थाना रामनगर क्षेत्र का गुण्डा एक्ट में जिला बदर अपराधी सुनील कुमार पुत्र स्व0 मोती लाल निवासी म0नं0- 1 / 272 नई बस्ती बघेली टोला थाना रामनगर वाराणसी उम्र 33 वर्ष अपने घर आ गया है और शीतला माता मन्दिर मच्छरहट्टा के पास खड़ा है। मुखबिर की सूचना पर जिला बदर हुए अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधि0 दिनांक 16.01.2023 से 6 माह के लिए श्रीमान् अपर पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के आदेश से जिला बदर किया गया है किन्तु अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए बिना किसी अनुमति के आकर अपने घर रह रहा था। जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियुक्त सुनील कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर अन्तर्गत धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह को दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

सुनील कुमार पुत्र स्व0 मोती लाल निवासी म0नं0- 1 / 272 नई बस्ती बघेली टोला थाना रामनगर वाराणसी उम्र 33 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक मु0अ0सं0-0117/2020 धारा 308 भा0द0वि0 थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी

गिरफ्तारी / बरामदगी का दिनांक, समय व स्थान :-

दिनांक- 09/03/2023 समय 10.00 बजे, शीतला माता मन्दिर मच्छरहट्टा रामनगर वाराणसी ।

बरामदगी का विवरण –

निल

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 श्री सर्वेश कुमार तिवारी थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
2- का0 गंगा प्रसाद वर्मा थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।
3- का0 अरूण सिंह रावत थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी ।